न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00399

गजेन्द्र आत्मज ओम प्रकाश जाति कोली निवासी ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 किशनलाल जाति कोली, निवासी ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी शिवराज मीणा का मकान कच्ची बस्ती गोबरिया बावडी, कोटा ।
2. पुष्पा बाई पुत्री स्व0 किशनलाल पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति काली निवासी, श्या मजी का मकान बस स्टेण्ड के पास कोटा डेम कोटा ।
3. मोहनी देवी पुत्री स्व0 किशनलाल पत्नी लालचन्द जाति कोली निवीस केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नर्बदा बाई पत्नी स्व0 किशनलाल जाति कोली निवासी ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सुन्दर बाई पुत्री स्व0 धन्ना पत्नी प्रभूलाल जाति कोली निवासी कोलियों का मोहल्ला चमन होटल की गली नयापुरा कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 03 किता की रकबा 4.19 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा

नम्बर 69 रकबा 1.19 हैक्टर भूमि स्थित है । वादी व प्रतिवादीगण कम 01 लगायत 04 आपस में पिता पुत्र व माता हैं जिनमें प्रतिवादी कम 01 वादी का पिता व प्रतिवादी कम 02 व 3 वादी की बुआ हैं तथा प्रतिवादी कम 04 वादी की दादी तथा प्रतिवादी कम 05 प्रतिवादी कम 01 की बुआ है । वादग्रस्त आराजी वादी के दादा किशन लाल जी एवं भागचन्द जी के संयुक्त खातेदारी की है । चूँकि भागचन्द उसके बाल्यकाल जब उसकी आयु 5–6 वर्ष की थी तब से ही लापता है जिसका आज तक पता नहीं चला इस कारण उक्त आजी के एक मात्र मालिक खातेदार किशन लाल हैं । वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित भूमि किशन लाल जी एवं प्रतिवादी कम 05 सुन्दरबाई के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजी में स्व0 किशनलाल का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर वे काबिज काश्त हैं । वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी पैतृक भूमि है जो स्व0 रामलाल से स्व0 पन्ना लाल व स्व0 धन्ना लाल को प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात् पन्नालाल की पुत्री सुन्दरबाई को पन्ना लाल के हिस्से की भूमि प्राप्त हुई है तथा धन्ना लाल जी की मृत्यु के बाद वादी के दादा किशन लाल व भागचन्द को प्राप्त हुई जिसमें भागचन्द लापता है और धन्ना लाल जी से प्राप्त सम्पूर्ण आराजी पर स्व0 किशनलाल को ही प्राप्तु हुई । इस प्रकार उक्त भूमि पूर्वजों के समय से ही वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । किशन लाल जी की मृत्यु के बाद उनका फौती इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है । मृतक किशन लाल जी के पुत्र प्रतिवादी कम 01 ओमप्रकाश जी का पुत्र है तथा विकलांग है जिसका स्व0 श्री किशनलाल जी की सम्पत्ति में जन्म से ही हिस्सा व अधिकार प्राप्त है । प्रतिवादी कम 01 किशनलाल जी की मृत्यु के बाद फौती इंतकाल खुलवाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान करने पर आमादा है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी का 1/8 हिस्सा वादी के पृथक खाते दर्ज किया जावे तथा उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पर उन्हें पृथक से कब्जा दिलाया जावे । वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी का भी विभाजन किया जावे जिसमें प्रतिवादी कम 05 को 1/2 तथा वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखा था और उसी दिन पटवारी हल्का से भागचन्द के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट जॉच करके पेश करने हेतु मांगी तथा पटवारी हल्का ने इस सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2018 को वहॉ पर बैठे–बैठे ही असत्य व गलत रिपोर्ट बनायी। उक्त रिपोर्ट का गलत मतलब निकालकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की

पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की असत्य रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद वादी कायमी तनकीयात में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2018 को अवलोकन किया गया । दिनांक 09.05.2018 के आदेश में यह अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का से भागचन्द पुत्र धन्ना जाति कोली के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई । हल्का पटवारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया है कि भागचन्द वर्तमान में मौजूद नहीं है उसकी अजमेर में मृत्यु हो चुकी है उसका परिवार वर्तमान में अजमेर में ही निवास करता है । भागचन्द 60–70 वर्ष पूर्व अजमेर चला गया था कभी कभार रिश्तेदार वगैरह की मृत्यु होने पर ग्राम रावंठा आता जाता था। पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 संलग्न है ।

11. वादी के द्वारा यह दावा हक घोषणा एवं विभाजन का पेश किया गया है । यदि भागचन्द के वारिस पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौजूद हैं तो उन्हें पक्षकार बनाया जाकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है । लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में बिना सीपीसी की पालना के जो निर्णय पारित किया गया है वो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता

है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक भागचन्द के कायममुकामान को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उनको जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि 05.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा